दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 31.10.2013

निर्णय दिया गया: 08.01.2014

मू.वि.या. सं. 627/2013

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण .....याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स पीसीएल सनकॉन (जेवी) .... प्रत्यर्थी

इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:

याचिकाकर्ता हेतु: सुश्री पद्मा प्रिया और सुश्री मीनाक्षी सूद, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी हेतु: श्री अमित जॉर्ज, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

न्या. राजीव शकधर,

1. यह याचिका माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत दिनांक 24.02.2013 के अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता ने तीन दावों के संबंध में लौटाए गए निष्कर्षों को चुनौती दी है। चौथा दावा, जो मध्यस्थता की लागत से संबंधित है, को स्पष्ट रूप से चुनौती नहीं दी गई है क्योंकि माध्यस्थम् अधिकरण ने प्रत्यर्थी को इसके संबंध में कोई राशि नहीं दी है। प्रत्यर्थी माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष मूल दावेदार है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कोई प्रतिदावा नहीं किया था।

3. जहां तक दावा सं. 1 का सवाल है, जो कि विवाद सं. 7 से संबंधित है, जैसा कि मुझे बताया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया था कि यह इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 14.08.2013 को पारित किए गए निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसे आ.प्र.अ. (मू.प.) सं. 366/2013 में ***मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम मेसर्स गैमन-अटलांटा (जेवी)*** शीर्षक से पारित किया गया था। मैंने इस पहलू को अपने दिनांक 30.09.2013 के आदेश में अभिलिखित किया था।

4. इसलिए, मुझे केवल इन बातों पर विचार करना है: याचिकाकर्ता की दावा सं. 2 पर आपत्ति, जिसके विषय में मुझे बताया गया है कि वह विवाद सं. 8 से संबंधित है; और दावा सं. 3(क), 3(ख) और 3(ग), जो "अतीत", "वादकालीन" और "भविष्य के हित" से संबंधित हैं।

5. दावा सं. 2 के अंतर्गत, माध्यस्थम् अधिकरण ने 2,29,50,919/- रुपए की राशि प्रदान की है। पिछली अवधि (जो कि पूर्व-संदर्भ अवधि है) के संबंध में, विशेष आवेदन की शर्तों (सीओपीए) के खंड 60.8 (ख) की शर्तों के

अनुसार, मासिक चक्रवृद्धि 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया गया है, जबकि लंबित अवधि और अधिनिर्णय की तिथि के बाद की अवधि के लिए, इसे 12% साधारण दर से अनुदत्त किया गया है।

6. उपरोक्त प्रस्तावना के साथ, मैं सबसे पहले दावा सं. 2 के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करना चाहूंगा।

6.1 यह दावा इस तथ्य के कारण उद्भूत हुआ है कि कार्य के निष्पादन के दौरान, मात्रा के बिल (बीओक्यू) की कुछ मदों का लोप कर दिया गया। प्रत्यर्थी के अनुसार, बीओक्यू मदों के लोप के परिणामस्वरूप ऊपरी खर्च और लाभ की हानि हुई। इस प्रकार, दावा उस खाते पर मांगी गई प्रतिपूर्ति से संबंधित था। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि साइट पर प्राप्त सामग्री से संबंधित बीओक्यू मदों को निष्पादित न करने के लिए प्रत्यर्थी जिम्मेदार था, प्रत्यर्थी पूर्ण रूप से अलग रुख रखता है, जो यह है कि उस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

6.2 हालांकि, यह विवादग्रस्त नहीं है कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 04.04.2008 के पत्र के माध्यम से नियुक्त अभियंता को संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 52.1 के अंतर्गत आवश्यक परिवर्तन आदेश जारी करने के लिए कहा था। प्रत्यर्थी ने 20,14,58,749/- रुपये मूल्य का परिवर्तन आदेश मांगा था।

6.3 ऊपरी खर्च और लाभ की हानि के लिए दावा की गई हानि उक्त मूल्य का एक प्रतिशत बिंदु थी। माध्यस्थम् अधिकरण ने ऊपरी खर्च की हानि के लिए

8% और लाभ की हानि (ऊपरी खर्च शुल्क पर लाभ की हानि सहित) के लिए 10% का अधिनिर्णय दिया। कुल मिलाकर 2,29,50,919/- रुपये का अधिनिर्णय दिया गया।

6.4 उपरोक्त संदर्भ में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि अभियंता ने दिनांक 03.11.2008 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी को उपदर्शित किया कि उस समय कोई परिवर्तन आदेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविदा निष्पादन की प्रक्रिया में थी। दूसरे शब्दों में, अभियंता द्वारा उठाया गया कदम यह था कि उस समय परिवर्तन आदेश जारी करने के लिए किया गया अनुरोध असामयिक था।

6.5 ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने अपनी शिकायत को विशेष आवेदन की शर्तों (सीओपीए) के उप-खंड 67.1 के अंतर्गत विवाद समाधान बोर्ड (संक्षेप में डीआरबी) के समक्ष रखा है। डीआरबी ने भी स्पष्ट रूप से यही निष्कर्ष निकाला है; इसी कारण से, मामला माध्यस्थम् अधिकरण के पास संदर्भित किया गया। प्रासंगिक रूप से, हालांकि याचिकाकर्ता ने इस मामले में माध्यस्थम् अधिकरण का क्षेत्राधिकार न होने के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की थी क्योंकि डीआरबी द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया था, परंतु माध्यस्थम् अधिकरण ने अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। प्रारंभिक आपत्ति की अस्वीकृति के संबंध में शिकायत याचिकाकर्ता की ओर से मेरे समक्ष नहीं रखी गई है।

<u>अधिवक्तागण की प्रस्तुतियाँ</u>

7. अतः मेरे समक्ष याचिकाकर्ता का मामला, जिसे सुश्री पद्मा प्रिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह है कि दावा सं. 2 को निम्नलिखित कारणों से प्रत्यर्थी के पक्ष में गलत तरीके से अधिनिर्णीत किया गया है:-

7.1 दावा सं. 2 के लिए दिया गया अधिनिर्णय संविदा की विशिष्ट शर्तों के विपरीत है और इसलिए, माध्यस्थम् अधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। संविदा के विशिष्ट खंडों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या किए गए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये खंड हैं: खंड 51.1, 52.1, 52.2 और 52.3।

7.2 सुश्री पद्मा प्रिया की प्रस्तुति थी कि खंड 51.1 के अंतर्गत विचारित परिवर्तन विभिन्न कारणों से हो सकता है जैसे कि संविदा में शामिल किसी भी कार्य की मात्रा में वृद्धि या कमी या यहां तक कि किसी ऐसे कार्य लोप। सुश्री पद्मा प्रिया के अनुसार, इस मामले में, परिवर्तन लोप की प्रकृति में होने के कारण, हालांकि मूल्यांकन खंड 52.3 में दी गई सीमा या सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, खंड 52.1 या 52.2 के अनुसार किया जा सकता है।

7.3 सुश्री पद्मा प्रिया ने हालांकि स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 52.2 के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि इस तथ्य को देखते हुए कि लोप की गई मद उक्त खंड के प्रावधान में विहित शर्तों को पूरी नहीं करती है। परंतुक में स्पष्ट रूप से विहित

किया गया है कि संविदा में किसी भी मद की दर या कीमत में कोई बदलाव तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि ऐसी मदें संविदा मूल्य के 2% से अधिक राशि के लिए जिम्मेदार न हों और मदों के अंतर्गत निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा बीओक्यू में निर्धारित मात्रा से 25% से अधिक अधिक या कम न हो।

7.4 सुश्री पद्मा प्रिया का प्रतिविरोध था कि इस प्रकार, खंड 52.1 के अंतर्गत भिन्नता का मूल्यांकन संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 52.3 में विहित प्रतिबंधों या सीमित शर्तों का पालन करना होगा। इस उद्देश्य के लिए, सुश्री पद्मा प्रिया ने मेरा ध्यान संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 52.3 की ओर आकर्षित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संविदा मूल्य में केवल वही वृद्धि या कटौती की जाएगी, जो संविदा मूल्य के 15% से अधिक हो।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री जॉर्ज ने कहा कि लोप की गई मदों का मूल्यांकन संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 52.2 और 52.3 के प्रावधानों की परवाह किए बिना, संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 52.1 के अनुसार "स्वतंत्र रूप से" किया जाना था। यह श्री जॉर्ज का प्रतिविरोध था कि प्रत्यर्थी ने जो मांगा था वह लोप की गई मदों का मूल्यांकन था न कि बीओक्यू मदों की दरों का पुनर्निर्धारण। दूसरे शब्दों में, इसे सरल शब्दों में कहें तो, यह उनका प्रतिविरोध था कि लोप किए गए

कार्य/विविध कार्य का मूल्यांकन खंड 52.1 के अंतर्गत किया जाना था। उनका यह भी प्रतिविरोध था कि खंड 52.2 बीओक्यू मदों की दरों और कीमतों का पुनर्निर्धारण प्रदान करता है बशर्ते कि ऊपर बताए गए परंतुक में निहित शर्तें पूरी हों।

8.1 उनकी प्रस्तुति थी कि इसलिए, खंड 52.2 के अंतर्गत बीओक्यू मदों की दरों और कीमतों का पुनः निर्धारण या खंड 52.1 के अंतर्गत अंतर का मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र थे, और इसलिए, संविदा मूल्य पर उनके समग्र प्रभाव का उप खंड 52.1 के अंतर्गत भिन्न कार्य के मूल्यांकन पर कोई असर नहीं हो सकता।

8.2 श्री जॉर्ज ने प्रस्तुत किया कि मुद्दे में बीओक्यू मद अर्थात् मद सं. 3.01 (ख) को टेकिंग-ओवर-सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी चालू नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में की गई प्रस्तुतियों को अस्वीकार कर दिया।

8.3 अपने प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, (2009) 3 मध्य. एल.आर. 268 (दिल्ली)*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और ***स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (2009) 10 एससीसी 63*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की। श्री जॉर्ज का प्रतिविरोध था कि संबंधित मुद्दा संविदा की

व्याख्या से संबंधित था और इसलिए, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता भले ही मध्यस्थ ने उस संबंध में कोई गलती की हो।

<u>कारण</u>

9. दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि:-

9.1 इस प्रकार के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय एक ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं जिस पर कोई बहस नहीं कर सकता। संक्षेप में प्रस्तुत सिद्धांत इस प्रकार है:-

9.2 संविदा के प्रावधानों की व्याख्या मध्यस्थ के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। जब तक व्याख्या अविश्वसनीय या बेतुकी न हो, न्यायालय मध्यस्थ के निर्णय पर रोक नहीं लगाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि केवल एक ही व्याख्या संभव है और मध्यस्थ अधिकरण उसकी अनवेक्षा करना चाहता है, तो न्यायालय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है। माध्यस्थम् अधिकरण विधि की अनवेक्षा नहीं कर सकता या विधि का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। मध्यस्थ, संविदा की विशिष्ट शर्तों की अनवेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वह पक्षकारगण के मध्य हुए करार का एक अंग है (***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड*** देखें)।

10. प्रश्न वास्तव में यह है कि यह मामला किस सीमा पर आता है। क्या यह संविदा की शर्तों की व्याख्या का मामला है या, यह मध्यस्थ द्वारा संविदा की विशिष्ट शर्तों की अनवेक्षा करने का मामला है। अगर मैं ऊपर बताए गए सिद्धांत में कुछ और जोड़ सकता हूं, तो मेरे विचार में, व्याख्या की गुंजाइश तभी उद्भूत होती है जब संविदा की शर्तों में अस्पष्टता हो। दूसरे शब्दों में, जहां कम से कम दो, बहुत संभव, परंतु बिल्कुल विपरीत विचारों की गुंजाइश हो। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय अपने विचार को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर इसलिए नहीं अधिरोपित करेगा, क्योंकि वह माध्यस्थम् अधिकरण के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, भले ही वह एक संभावित दृष्टिकोण हो। ऐसी स्थिति के अभाव में, व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शब्दों के स्पष्ट अर्थ से न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए कि संविदा में प्रवेश करते समय पक्षकारगण का आशय क्या रहा होगा।

10.1 इसका उद्देश्य पक्षकारगण का वास्तविक आशय जानना है। यद्यपि, जब शब्द स्पष्ट और अस्पष्ट हों, तो व्याख्या का मार्ग उपलब्ध नहीं होता है। पक्षकारगण के वास्तविक आशय का पता लगाने में, न्यायालय को संविदा में प्रयुक्त शब्दों को देखना आवश्यक है। आशय शब्द का प्रयोग अक्सर "हेतु", "उद्देश्य", "वांछा" या यहाँ तक कि "मन की स्थिति" के अर्थ में किया जाता है, न कि संविदा में प्रयुक्त शब्दों द्वारा व्यक्त आशय के रूप में। संविदा में प्रयुक्त शब्दों द्वारा व्यक्त अर्थ के विपरीत पक्षकारगण के आशय को जानने का प्रयास व्याख्या नहीं कहा जा सकता, किंतु यह भ्रम पैदा करने का एक नुस्खा है। [***ग्रेट***

वेस्टर्न रेलवे और मिडलैंड रेलवे बनाम ब्रिस्टल कॉर्पोरेशन (1918) 87 एलजे अध्याय 414 और ***आई.आर.सी. बनाम राफेल (1935) ए.सी. 96*** देखें]। इसलिए, मेरे विचार में, ***स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड*** के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कोई अलग सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है।

11. इसलिए, वर्तमान स्थिति में, पक्षकारगण के आशय को जानने के लिए, संविदा के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक हो सकता है। सुविधा हेतु, उन्हें तत्काल मामले के लिए प्रासंगिक सीमा तक उद्धृत किया जाता है:

"परिवर्तन	51.1	अभियंता कार्य या उसके किसी भाग के स्वरूप, गुणवत्ता या मात्रा में कोई परिवर्तन करेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो और इसके प्रयोजन हेतु, या यदि किसी अन्य कारण से वह उसकी राय में उचित हो, तो उसे संविदाकार को ऐसा करने का निर्देश देने का अधिकार होगा और संविदाकार निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करेगा: (क) संविदा में शामिल किसी भी कार्य की मात्रा में वृद्धि या कमी करना। (ख) ऐसे किसी भी कार्य का लोप करना (किन्तु यदि लोप किया गया कार्य नियोक्ता या किसी अन्य संविदाकार द्वारा किया जाना है तो नहीं)। (जोर दिया गया) (ग) ऐसे किसी भी कार्य के चरित्र या गुणवत्ता या प्रकार को बदलना (घ) कार्यों के किसी भी हिस्से के स्तर, रेखाओं, स्थिति और आयामों को बदलना। (ङ) कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्य निष्पादित करना, या (च) कार्य के किसी भी भाग के निर्माण के किसी भी निर्दिष्ट अनुक्रम या समय को बदलना।

		ऐसा कोई भी परिवर्तन किसी भी प्रकार से संविदा को नष्ट या अवैध नहीं करेगा, परंतु ऐसे सभी परिवर्तनों का प्रभाव, यदि कोई हो, खंड 52 के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा। परंतु यह कि जहां कार्य में अंतर करने के निर्देश का जारी होना संविदाकार द्वारा संविदा के किसी चूक या उल्लंघन के कारण आवश्यक हो या जिसके लिए वह जिम्मेदार हो, तो ऐसे चूक के कारण होने वाली कोई भी अतिरिक्त लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी। (जोर दिया गया)
परिवर्तनों का मूल्यांकन	52.1	खंड 51 में संदर्भित सभी परिवर्तन और संविदा मूल्य में कोई भी वृद्धि जिसे खंड 52 के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है (इस खंड के प्रयोजन हेतु "विविध कार्य" के रूप में संदर्भित) का मूल्यांकन संविदा में निर्धारित दरों और कीमतों पर किया जाएगा, यदि यह अभियंता की राय में हो, तो वही लागू होगा। यदि संविदा में भिन्न कार्य पर लागू कोई दरें या कीमतें शामिल नहीं हैं, तो संविदा में दी गई दरों और कीमतों को मूल्यांकन के आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जहाँ तक उचित हो, ऐसा न होने पर, अभियंता द्वारा नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता और संविदाकार के बीच उपयुक्त दरों या कीमतों पर सहमति बनाई जाएगी। असहमति की स्थिति में अभियंता ऐसी दरें या कीमतें निर्धारित करेगा जो उसकी राय में उचित हों और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को तदनुसार सूचित करेगा। जब तक कि दरें या कीमतें सहमत या

		निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक अभियंता खंड 60 के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्रों में लेखागत भुगतानों को शामिल करने के लिए अनंतिम दरें या कीमतें निर्धारित करेगा।
दरें निर्धारित करने की अभियंता की शक्ति	52.2	बशर्ते कि यदि किसी भिन्न कार्य की प्रकृति या मात्रा, संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग की प्रकृति या मात्रा के सापेक्ष ऐसी हो कि अभियंता की राय में, कार्य के किसी मद के लिए संविदा में निहित दर या मूल्य ऐसे भिन्न कार्य के कारण अनुपयुक्त या लागू नहीं होता है, तो अभियंता द्वारा नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता और संविदाकार के बीच एक उपयुक्त दर या मूल्य पर सहमति बनाई जाएगी। असहमति की स्थिति में अभियंता ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जो उसकी राय में उचित हो और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को तदनुसार सूचित करेगा। जब तक दरों या मूल्यों पर सहमति नहीं बन जाती या निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक अभियंता धारा 60 के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्रों में लेखागत भुगतानों को शामिल करने के लिए अनंतिम दरें या मूल्य निर्धारित करेगा। यह भी प्रावधान है कि धारा 51 के अनुसरण में अभियंता द्वारा किए जाने के लिए निर्देशित कोई भी परिवर्तित कार्य उप-धारा 52.1 के अंतर्गत या इस उप-धारा के अंतर्गत तब तक मूल्यांकित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे निर्देश की तिथि से 14 दिनों के भीतर और लोप किए गए कार्य के मामले को छोड़कर, परिवर्तित कार्य के प्रारंभ होने से पहले, निम्न में से किसी एक की सूचना न दे दी गई हो: (क) संविदाकार द्वारा अभियंता को अतिरिक्त भुगतान या भिन्न दर या मूल्य का दावा करने का आशय, या (ख) अभियंता द्वारा संविदाकार को दर या मूल्य में

		परिवर्तन करने का आशय। ***आगे यह भी प्रावधान है कि संविदा में निहित किसी भी मद के लिए दर या मूल्य में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी मद संविदा मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक राशि के लिए उत्तरदायी न हो, तथा मद के अंतर्गत निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा, मात्रा-पत्र में निर्धारित मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक न हो या कम न हो।***
15 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन	52.3	यदि सम्पूर्ण कार्य के लिए अधिग्रहण प्रमाण-पत्र जारी करने पर यह पाया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप: (क) उप-खंड 52.1 और 52.2 के अंतर्गत मूल्यांकित सभी विविध कार्य, और (ख) मात्रा के बिल में निर्धारित अनुमानित मात्राओं के मापन पर सभी समायोजन, अनंतिम रकम, दिन के काम और खंड 70 के अंतर्गत किए गए समायोजित मूल्य को छोड़कर। परंतु किसी अन्य कारण से नहीं, संविदा मूल्य में जोड़ या कटौती हुई है जो कुल मिलाकर संविदा मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक है (जो इस उप-खंड के प्रयोजन हेतु संविदा मूल्य होगा, अनंतिम रकम और दिन के काम के भत्ते को छोड़कर) और ऐसी स्थिति में (इस खंड के उप-खंड के अंतर्गत पहले से की गई किसी कार्रवाई के अधीन), अभियंता नियोक्ता और संविदाकार द्वारा उचित परामर्श के बाद, संविदा मूल्य में ऐसी अतिरिक्त राशि

		जोड़ी या घटाई जाएगी जो संविदाकार, अभियंता के बीच सहमत हो या, समझौते में विफल होने पर, संविदाकार की साइट और संविदा के सामान्य ऊपरी खर्च की लागतों को ध्यान में रखते हुए अभियंता द्वारा निर्धारित की जाए। अभियंता इस उप-खंड के अंतर्गत किए गए किसी भी निर्धारण की प्रति नियोक्ता को संविदाकार को सूचित करेगा। ऐसी राशि केवल उस राशि पर आधारित होगी जो जोड़ या कटौती द्वारा प्रभावी मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक होगी।

(जोर मेरा है)

12 मेरे समक्ष उपस्थित अधिवक्तागण इस बात पर विवाद नहीं करते कि खंड 51.1 के अंतर्गत परिवर्तन परिकल्पित हैं। कुछ परिवर्तन संबंधित अभियंता द्वारा निर्देशित परिवर्तन होते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन से संबंधित होते हैं जिनके लिए निर्देश नहीं दिए जाते हैं। (***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड*** देखें)। हम यहां लोप की गई मदों पर विचार कर रहे हैं, जिन पर दोनों अधिवक्तागण सहमत हैं कि वे खंड 51.1 के दायरे में आती हैं। यह पता लगाना आवश्यक है कि भिन्नता का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाना है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की यह प्रस्तुति है कि मूल्यांकन केवल खंड 52.1 के अंतर्गत और खंड 52.3 में व्यक्त सीमा के अलावा ही किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रस्तुति के विरुद्ध तर्क दिया। दोनों अधिवक्तागण अपनी प्रस्तुतियों में इस बात पर सहमत

हुए कि इसे शुरू करने के लिए खंड 52.2 में दी गई पूर्व-आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई थीं। विहित शर्तें ये थीं: कि परिवर्तित मद (इस मामले में लोप की गई मद) का मूल्य संविदा मूल्य के 2% से अधिक नहीं था और परिवर्तित मद की वास्तविक मात्रा न तो बीओक्यू के 25% से अधिक थी और न ही उससे कम थी।

12.1 इसलिए, अधिवक्तागण संक्षेप में खंड 52.3 के प्रावधानों के अनुप्रयोग पर असहमत थे।

13. मेरे विचार में, खंड 52.3 का सादा पठन यह दर्शाता है कि यह उप-खंड (क) से शुरू होता है जो खंड 52.1 और 52.2 दोनों को संदर्भित करता है। इसलिए, संविदा मूल्य में कोई भी समायोजन जो खंड 52.1 या 52.2 के अंतर्गत मूल्यांकन में बदलाव करके किया जाता है, उसे खंड 52.3 के अंतर्गत विहित सीमा द्वारा शासित किया जाना चाहिए। खंड 52.3 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि जब तक मूल्यांकन संविदा मूल्य में 15% से अधिक की वृद्धि या कटौती नहीं करता है, तब तक इसे प्रभावी नहीं किया जाएगा। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि परिवर्तन संविदा मूल्य के 15% से अधिक था। इसके विपरीत माध्यस्थम् अधिकरण का निर्णय, मेरी राय में, खंड 52.3 के स्पष्ट शब्दों के पूर्ण रूप से विपरीत है। इन परिस्थितियों में, उस स्तर पर माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय को अपास्त करना होगा। माध्यस्थम् अधिकरण का तर्क यह प्रतीत होता है कि मूल्यांकन खंड 52.3 के प्रावधानों के अलावा "केवल"

खंड 52.1 के अंतर्गत किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, यह निष्कर्ष खंड 52.3 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत है, जो खंड 52.1 और 52.2 दोनों के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों के मूल्यांकन को अपने दायरे में लेता है। ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड*** में इस न्यायालय के तथ्यों पर दिए गए निर्णय पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की निर्भरता कोई प्रयोज्यता नहीं रखेगी, क्योंकि वह मामला निर्देश दिए गए परिवर्तनों के लिए रिबेट के विस्तार अर्थात् अभियंता के निर्देश पर किए गए परिवर्तन, के मुद्दे से संबंधित था। यह भा.रा.रा.प्रा. का प्रतिविरोध था कि रिबेट आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड (उस मामले में प्रत्यर्थी) द्वारा निष्पादित सभी कार्यों पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें परिवर्तन और अतिरिक्त संरचनाएं शामिल हैं। अधिकरण असहमत था और इसलिए, मामला उच्च न्यायालय पहुंचा।

13.1 इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर बरकरार रखा कि यह एक ऐसा मामला था जो संविदा की व्याख्या से संबंधित था, और चूंकि, यह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था, इसलिए न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय से खंड 52.3 की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की गई थी। चूंकि निर्देशित परिवर्तनों के लिए रिबेट के विस्तार के पहलू पर अस्पष्टता थी, इसलिए न्यायालय ने माध्यस्थम् अधिकरण की प्रज्ञान पर दबाव न डालना उचित समझा। इस प्रकार, दिए गए तथ्य की स्थिति में,

संविदा के पक्षकारगण के आशय का अभिनिश्चय करने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग स्पष्ट रूप से उचित था।

13.2 यद्यपि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे में खंडों की स्पष्ट भाषा पक्षकारगण के आशय को दर्शाती है। आशय यह है: हर दूसरी संविदा की तरह पक्षकारगण को इसके निष्पादन के दौरान संविदा में परिवर्तन करने का अधिकार है। परिवर्तन कई रूप ले सकते हैं, जैसे, कार्य में वृद्धि या कमी या यहाँ तक कि लोप और परिवर्धन। यद्यपि, जब तक ऐसे परिवर्तन एक खास बैंडविड्थ को पार नहीं करते हैं, जो संविदा मूल्य का 15% है, तब तक कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिए। पक्षकारगण के इस आशय की अनवेक्षा करना और ओवरहेड्स(ऊपरी खर्च) और लाभ के कारण प्रत्यर्थी द्वारा स्पष्ट रूप से हुई हानि के लिए, लोप की गई मद के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत बिंदु पर प्रतिकर अनुदत्त करना, मेरे विचार में, पक्षकारगण के स्पष्ट आशय के विपरीत है।

14. जहां तक दावा सं. 3(क), 3(ख) और 3(ग) का संबंध है, इन शीर्षों के अंतर्गत दिए गए निर्णय में कोई गलती नहीं पाई जा सकती, सिवाय इसके कि दावा सं. 2 के अंतर्गत ब्याज का अनुदान मेरे उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए बाहर रखा जाएगा, कि दावा सं. 2 के अंतर्गत धन का अधिनिर्णय अनुचित था।

14.1 दावा सं. 3(क), 3(ख) और 3(ग) के संबंध में दो आपत्तियां ली गई हैं। पहली, कि ब्याज पूर्व-संदर्भ अवधि हेतु 12% की दर से मासिक रूप से संयोजित होता है। दूसरी, कि 12% की दर यह अपने आप में अत्यधिक है।

14.2 जहाँ तक पहली आपत्ति का सवाल है, इसमें कोई गलती नहीं पाई जा सकती क्योंकि विशेष आवेदन की शर्तें(सीओपीए) का खंड 60.8 (ख) मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज को अनुज्ञात करता है। दूसरी आपत्ति के संबंध में, कोई भी सुरक्षित रूप से कह सकता है कि, हाल के दिनों में ब्याज दरें 9% से 12% के बीच बदलती रही हैं। यदि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है, तो अधिनिर्णय की तिथि के बाद की अवधि के लिए वैधानिक दर है: 18% प्रति वर्ष। 12% प्रति वर्ष की दर निर्धारित करते समय माध्यस्थम् अधिकरण ने मूल उधार दर 2% से अधिक के मानदंड को ध्यान में रखा है। चूँकि यह एक उच्चतर आंकड़ा था, इसलिए इसे घटाकर 12% कर दिया गया।

14.3 इस प्रकार, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह सबसे अच्छा होगा कि मैं माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा नियोजित विवेक में हस्तक्षेप न करूँ। विशेष रूप से, इस परिस्थिति में कि: यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है; माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष या उसके बाद याचिकाकर्ता की कोई स्पष्ट निर्दयता प्रकट नहीं हुई है; और निर्धारित दर तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अत्यधिक नहीं लगती है। इन दावों के संबंध में चुनौती अस्वीकार की जाती है।

15. पूर्वगामी कारणों से, आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक अपास्त किया जाता है कि इसमें दावा सं. 2 को अनुज्ञात किया गया है तथा प्रत्यर्थी को उस पर ब्याज प्रदान किया गया है।

16. याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। यद्यपि, पक्षकारगण को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

न्या. राजीव शकधर,

जनवरी 08, 2014
एसपीएएल/वाईजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*